उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-37/3560/26-1-2014-3(51)/2014

लखनऊ : दिनांक: 28 नवम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-624/स0क0/स्था-2/वै0पत्रा0/2014-15, दिनांक 13-10-2014 एवं पत्र संख्या-630/स0क0/स्था-2/101/वै0पत्रा0/2014-15, दिनांक 13-10-2014 में क्रमश: की गयी संस्तुतियों के क्रम में श्री निधि सागर पाठक, प्रवक्ता(समाजशास्त्र), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, कांधनी, इटावा तथा श्री रविन्द्र बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक(एल0टी0ग्रेड), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, चन्दापुर, उदयपुर, वाराणसी, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शैक्षिक सत्र 2014-15 के मध्य सत्र में क्रमश: दिनांक 31-12-2014 व दिनांक 31-01-2015 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को उनके कार्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89, दिनांक 21-01-1991 एवं शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक 19-01-1996 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत श्री राज्यपाल महोदय, श्री निधि सागर पाठक, प्रवक्ता(समाजशास्त्र), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, कांधनी, इटावा तथा श्री रविन्द्र बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक(एल0टी0ग्रेड),राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, चन्दापुर, उदयपुर, वाराणसी को पूर्ण शिक्षा सत्र 2014-15 में दिनांक 30-06-2015 तक का सत्र लाभ दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

केदारनाथ
विशेष सचिव।

पृ0सं0-37/3560(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-624/स0क0/स्था-2/वै0पत्रा0/2014-15, दिनांक 13-10-2014 एवं पत्र संख्या-630/स0क0/स्था-2/101/वै0पत्रा0/2014-15, दिनांक 13-10-2014 के संदर्भ में।

3- कोषाधिकारी, इटावा/वाराणसी।

4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, इटावा/वाराणसी ।

5- प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, कांधनी, इटावा/राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज चन्दापुर, उदयपुर, वाराणसी।

6- श्री निधि सागर पाठक, प्रवक्ता(समाजशास्त्र), राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, कांधनी, इटावा ।

7- श्री रविन्द्र बहादुर सिंह, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक(एल0टी0ग्रेड),राजकीय आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, चन्दापुर, उदयपुर, वाराणसी।

7- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in